पुनर्वास योजना

मई 2020

भारतः दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम निवेश योजना

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) - भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक के लिए तैयार किया गया

संक्षिप्त शब्द

एडीबी	एशियाई विकास बैंक
बीपीएल	गरीबी रेखा के नीचे
बीएसआर	दरों की मूल अनुसूची
सीपीआर	सामुदायिक संपत्ति संसाधन
डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीआईएमटीएस	दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम
डीएच	विस्थापित परिवार
डी पी	विस्थापित लोग
ईए	निष्पादन एजेंसी
ईएम	एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स
एफजीडी	फोकस ग्रुप डिस्कशन
जीसी	सामान्य सलाहकार
जीडीए जीएनएन	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद नगर निगम
जीआरएम	शिकायत निवारण तंत्र
जीआरसी	शिकायत निवारण समिति
आईडीएफसी	इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन
आईपी	देशी नागरिक
एमपीसीई	प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग और व्यय
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरटीसी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनटीएच	गैर हकधारी
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीआईयू	परियोजना कार्यान्वयन इकाई
पीएमओ	परियोजना प्रबंधन कार्यालय
आरएफ	पुनर्वास ढांचा
आरसीएफटीएलएआरआर	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूति और पारदर्शिता का अधिकार
आरआईएसए	पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी
आरओडब्ल्यू	मार्ग का अधिकार
आरपी	पुनर्वास योजना
आर एंड आर	पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आरआरटीएस	रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईए	सामाजिक प्रभाव आंकलन
एसपीएस	सुरक्षा नीति विवरण
एसटी	अनुसूचित जन जाति
टीएच	हकधारी

टिप्पणी

(i) भारत सरकार और उसकी संस्थाओं का वित्तीय वर्ष (एफवाई) 31 मार्च को समाप्त होता है। एक कैलेंडर वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष का अर्थ उस वर्ष से है जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, उदाहरण के लिए, वित्तीय 2019 31 मार्च 2019 को समाप्त होता है।

(ii) इस रिपोर्ट में, "$" का अर्थ अमेरिकी डॉलर से है।

यह पुनर्वास योजना उधारकर्ता का दस्तावेज है। जो विचार यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं वह आवश्यक नहीं हैं कि वह एडीबी के निदेशक मंडल, प्रबंधन या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह प्रकृति में प्रारंभिक हो सकते हैं।

किसी भी देश के कार्यक्रम या रणनीति को तैयार करने में, किसी भी परियोजना के वित्तपोषण में या इस दस्तावेज़ में किसी विशेष क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र के किसी भी पदनाम या संदर्भ को बनाकर, एशियाई विकास बैंक का इरादा किसी भी निर्णय को किसी और क्षेत्र या भूभाग का कानूनी या अन्य विचार बनाने का नहीं है ।

*केवल सरकारी प्रयोग हेतु

कार्यकारी सारांश

क) परियोजना विवरण

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) - भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार सभी की एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए रेल के आधार पर एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) विकसित कर रही है। इसका लक्ष्य है रेल के आधार पर स्थाई शहरी परिवहन प्रणाली को प्रस्तुत करना, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और माल, सेवाओं की बेहतर उपलब्धता हो, रोजगार के अवसरों का निर्माण हों एवं सतत विकास के साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन में सुधार हो, जिससे शहर का वातावरण जीने के लिए बेहतर होगा अर्थात शहर में वाहनों के स्थान पर सड़क का स्थान अधिक हो और नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो।

2. प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) (दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ) कॉरिडोर दिल्ली राज्य में सराय काले खान से आरंभ होगा और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में समाप्त होगा जो वह एक डबल लाइन स्टैंडर्ड गेज, रैपिड रेलवे सिस्टम होगा, जिसे एलिवेटिड वायाडक्ट पर बनाया जाएगा और यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमिगत होगा। अंतिम संरेखण के अनुसार, कुल 82.15 किलोमीटर की लंबाई में से, 14.15 किलोमीटर भूमिगत सेक्शन और शेष 68 किलोमीटर एलीवेटेड सेक्शन हैं। एक स्टेबलिंग यार्ड सराय कालेखां (जंगपुरा) में तथा दो रखरखाव डिपो (एक मोदीपुरम तथा दूसरा डिपो दुहाई में) बनाए जाने की योजना बनाई गयी है। जो भी प्रस्तावित स्टेबलिंग यार्ड और डिपो है उनका निर्माण ग्रेड में किया जाएगा। निर्माण के दौरान यातायात में किसी भी प्रकार की समस्या न आए तथा यातायात सुगम रहे इसलिए एनसीआरटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग (तत्कालीन एनएच- 58) पर उन स्थानों पर मजबूतीकरण और काली टॉपिंग करना शुरू कर दिया है जहां सड़क के मध्य पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की रेखा आ रही है। चूंकि गाजियाबाद सेक्शन में 9.7 किलोमीटर (चैनएज 23.900 से 33.600 दुहाई तक) का कार्य पूरा हो चुका है और मेरठ सेक्शन में शेष 30 किलोमीटर (चैनएज 33.600-से 63.600 शताब्दी नगर तक) प्रगति पर है। इस सड़क को मजबूत करने और काली टॉपिंग के लिए व्यक्तिगत संपत्तियों पर बिना किसी प्रभाव तथा विद्यमान मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) के प्रयोग को सुनिश्चित करते हुए एक सम्यक रिपोर्ट तैयार की गयी है। एक सामाजिक सुरक्षा (सोशल सेफगार्ड) सम्यक रिपोर्ट (एसएसडीआर) तैयार की गई है और उसे इस पुनर्वास योजना (आरपी) में जोड़ा गया है।

ख. भूमि अधिग्रहण और पुर्नवास का दायरा

3. तकनीकी डिजाइन के अनुसार, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का निर्माण अधिकांशतः सड़क के वर्तमान मार्गाधिकार में ही रहेगा, क्योंकि

संरेखण सड़क के मध्य में या कैरिजवे के संग प्रस्तावित है। । प्रस्तावित सेंटर लाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता न्यूनतम होगी, यद्यपि, परियोजना में 17 एलिवेटेड स्टेशन एवं 2 रखरखाव डिपो हैं। इनके निर्माण के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी।

4. परियोजना जनगणना सर्वेक्षण के माध्यम से जो मूल्यांकन किया गया है उसमें भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रभाव में निजी भूमि का नुकसान, गैर-भूमि संपत्ति का नुकसान और आजीविका का नुकसान सम्मिलित है। यह पाया गया कि 138.29 हेक्टेयर निजी भूमि और 813 परिवारों के स्वामित्व वाली 525 संरचनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभावित परिवारों में भूमि और गैर भूमि संपत्ति खोने वाले हकदारी तथा गैर-संपत्ति भूमि खोने वाले अतिक्रमणकारी एवं अवैध कब्ज़ा रखने वाले गैर-हकदारी दोनों ही शामिल हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1: परियोजना प्रभावों का सारांश

प्रभाव	दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ – आरआरटीएस
निजी भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर)	138.3
सरकारी भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर)	18.8
अस्थायी उपयोग के लिए सरकारी भूमि (हेक्टेयर)	13.1
प्रभावित परिवार	813.0
क) भौतिक रूप से विस्थापित परिवार	72.0
ख) आर्थिक रूप से विस्थापित परिवार	732
ग) भौतिक और आर्थिक रूप से विस्थापित दोनों परिवार	9
घ महत्वपूर्ण प्रभाव	571
च) गैर-महत्वपूर्ण प्रभाव	242
कुल प्रभावित व्यक्ति	5,453
कुल महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित व्यक्ति	3,997
प्रभावित व्यक्ति (हकधारी)	3,625
प्रभावित व्यक्ति (गैर-हकधारी)	1,828
प्रभावित कर्मचारी	12
संवेदनशील परिवार	400
प्रभावित संरचनाएं	525
प्रभावित निजी पेड़	917
प्रभावित आम संपत्ति संसाधन	193

क) भूस्वामी जिनका आवास छिन रहा है और जिन्हें पुनर्स्थापन की आवश्यकता है या उनकी 10% से अधिक उत्पादक संपत्ति का नुकसान हो रहा है।

ख) जहां पर भूमि पर प्रभाव कुल क्षेत्र के 10% से कम है या संरचना पर आंशिक प्रभाव है, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।

ग) संवेदनशील समूहों में गरीबी रेखा से नीचे, भूमिहीन, बुजुर्ग, महिला-प्रधान घर और बच्चे, अनुसूचित जाति और देशी लोग, और वह लोग सम्मिलित हैं, जिनके पास भूमि का हक नहीं है, या ऐसे परिवार हैं जिनका स्वामी दिव्यांग व्यक्ति हैं।

स्रोत: एशियाई विकास बैंक

ग) सामाजिक-आर्थिक सूचना और प्रोफाइल

5- परियोजना क्षेत्र का सामाजिक स्तरीकरण यह दिखाता है कि यहां पर 325 (45.39%) परिवारों के साथ अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) की जनसंख्या का प्रभुत्व है। यहां पर कुल 5453 विस्थापित होने वाले लोग हैं, जिसमें 2915 (53.46%) पुरुष और 2538 (46.54%) महिलाएँ सम्मिलित हैं। यहां पर औसत घरेलू आकार 7.6 है एवं यहां पर विस्थापित होने वाले लोगों (डीपी) के बीच लिंगानुपात 871 है। परियोजना के जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार, 400 संवेदनशील परिवार इस परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं। विस्थापित होने वाले लोगों (डीपी) की शैक्षिक स्थिति से यह तथ्य पता चलता है कि 8.15% विस्थापित होने वाले लोग (डीपी) अभी भी परियोजना क्षेत्र में निरक्षर हैं। परियोजना में किसी भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) के परिवारों को प्रभावित नहीं पाया गया है।

घ) हितधारकों के परामर्श और प्रतिभागिता

6. परियोजना जनगणना सर्वेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना में लोगों की भागीदारी हो, परियोजना में 216 व्यक्तियों (201 पुरुषों और 15 महिलाओं) ने आठ स्थानों पर हुई सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लिया। सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने एवं हितकर समाधान के उद्देश्य से विकास संबंधी समस्याओं जैसे स्थानीय जरूरतों व समस्याओं तथा पुर्नवास की संभावनाओ के मद्देनजर विस्थापित होने वाले लोगों (डीपी) एवं अन्य हितधारकों के साथ समर्पित समूह चर्चाओं तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से परामर्श किया गया। विस्थापित लोगों (डीपी) और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के अतिरिक्त दौर की योजना को पुनर्वास योजना (आरपी) में सम्मिलित किया गया है, जो परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन के आगे के चरणों का हिस्सा बनेगी। पुनर्वास योजना (आरपी) कार्यान्वयन के दौरान इन परामर्शों को संचालित करने का कार्य, पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आरआईएसए) को सौंपा जाएगा, जिसमें क्षतिपूर्ति, सहायता विकल्पों और पात्रता पैकेज पर घोषणा और परियोजना के लिए आय को पुनर्स्थापित करने के लिए सुझाए गए उपायों पर चर्चा की जाएगी।

7. नियोजन में और अधिक पारदर्शिता रखने के लिए विस्थापित लोगों (डीपी) और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के लिए परियोजना की जानकारी को पुनर्वास योजना दस्तावेजों के प्रकटीकरण के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) समय सीमा के अंतर्गत प्रासंगिक सूचना को एक सहज उपलब्ध स्थान में उस प्रारूप तथा उस भाषा में उपलब्ध कराएगी जो विस्थापित लोगों (डीपी) एवं अन्य हितधारकों को समझ आ जाए।

ङ) कानूनी ढांचा

8. परियोजना में पुनर्वास मुद्दों को हल करने के लिए अपनाए गए कानूनी ढांचों और सिद्धांतों को

भारत सरकार (केन्द्र सरकार) दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश के वर्तमान कानून और नीतियों तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है। पुनर्वास योजना (आरपी) को तैयार करने से पहले वर्तमान राष्ट्रीय और राज्य नीतियों का एक व्यापक तथा विस्तृत विश्लेषण किया गया था और परियोजना के लिए एक पात्रता मैट्रिक्स तैयार किया गया था। इस पुनर्वास योजना (आरपी) को देश के सभी लागू कानूनी और नीतिगत ढांचों तथा एशियाई विकास बैंक की नीति आवश्यकताओं की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। नीतियों के बीच जो अंतराल हैं उन्हें पहचाना गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए इसका हल निकाला गया है कि पुनर्वास योजना (आरपी) सुरक्षा नीति विवरण (एसपीएस) 2009 आवश्यकताओं का पालन करे।

9. हर प्रकार के विस्थापन से पूर्व विस्थापित लोगों (डीपी) को हर प्रकार की क्षतिपूर्ति और अन्य सहायता का भुगतान कर दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति के भुगतान के बाद, विस्थापित लोगों (डीपी) को यह अनुमति होगी कि वह अपने विघटित घरों और दुकानों से बचाई गई सामग्रियों को हटा लें और उन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। बची हुई सामग्रियों के मूल्य को विस्थापित लोगों (डीपी) पर बकाया कुल क्षतिपूर्ति से नहीं काटा जाएगा।

च) पात्रता, सहायता तथा लाभ

10. परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को आपसी सहमति के आधार पर उत्तर प्रदेश नीति 2015 के अंतर्गत भू स्वामियों से भूमि को सीधे खरीदा जाना प्रस्तावित है। नीति के अनुसार, भू स्वामियों को राज्य सरकार द्वारा नामित समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा; पुनर्वास और पुन:स्थानन के लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि भू स्वामियों को देय नहीं होगी। अगर भूमि को सीधे नहीं खरीदा जा पाता है तो, आवश्यक भूमि को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूति और पारदर्शिता के अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अधिगृहीत किया जाएगा। हकधारकों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) में उचित क्षतिपूति और पारदर्शिता के अधिकार (आरएफसीटी) अधिनियम - 2013 की धारा 11 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना की प्रकाशन तिथि को ही कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। गैर-हकधारकों के लिए, कट-ऑफ की तिथि जनगणना सर्वेक्षण की शुरुआत तिथि होगी, अर्थात 14 अक्टूबर 2018। कोई भी गैर-हकधारी जो कट-ऑफ तारीख के बाद प्रभावित क्षेत्रों में आकर बसा है अर्थात 14 अक्टूबर 2018 के बाद, तो वह क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा। हालांकि, उन्हें पर्याप्त रूप से एक अग्रिम नोटिस दिया जाएगा, जो परियोजना के कार्यान्वयन से पहले परिसर को खाली करने और विखंडित संरचनाओं को हटाने का अनुरोध करेगा। उनकी विखंडित संरचना सामग्री को जब्त नहीं किया जाएगा, और उन्हें कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा और न ही उन पर दंड लगाया जाएगा।

छ) आवास तथा निवास का पुन:स्थानन

11. यहां पर 72 परिवार (13 हकधारी (टीएच) और 59 गैर हकधारी (एनटीएच)) हैं, जिनका आवास उनसे छिन जाएगा और इसलिए इनके पुन:स्थापन की आवश्यकता है। कार्यान्वयन एजेंसी हकधारकों कों उनकी भूमि एवं संरचना के नुकसान जिनमें पात्र पुन:स्थानन सहायता भी सम्मिलित है, के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन लागत में पर्याप्त एवं उचित नकद क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) गैर-हकधारकों को भूमि के अलावा उनकी परिसंपत्तियों जैसे आवास आदि के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी, और इसके साथ ही वह भूमि के लिए अन्य सुधार भी प्रदान करेगी, जिसमें उचित सहायता के साथ पूर्ण प्रतिस्थापन लागत भी सम्मिलित है। गैर-हकधारकों की पात्रता केवल तभी होगी जब उन्होंने कट-ऑफ तिथि से पहले परियोजना क्षेत्र में भूमि या संरचनाओं पर निवास करना आरम्भ कर दिया हो।

ज) आय बहाली और पुनर्वास

12. परियोजना के प्रभाव से पता चलता है कि भूमि और वाणिज्यिक संरचनाओं के नुकसान के कारण, परियोजना के अंतर्गत 685 परिवारों की आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है। परियोजना के लिए प्रस्तावित पात्रता में पर्याप्त प्रावधान हैं कि प्रभावित समुदायों की आजीविका को बहाल किया जाए। संवेदनशील विस्थापितों के लिए, आजीविका की बहाली का ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि विस्थापित लोग (डीपी) कम से कम राष्ट्रीय न्यूनतम मानक प्राप्त कर सकें। विस्थापित लोगों (डीपी) की आर्थिक स्थितियों को बहाल करने और बढ़ाने के लिए, कुछ आय सृजन और आय बहाली कार्यक्रम पुनर्वास योजना (आरपी) में शामिल किए गए हैं।

झ) पुनर्वास बजट और वित्तीय योजना

13 .इस परियोजना के लिए पुनर्वास लागत अनुमान में पात्र क्षतिपूर्ति, पुनर्वास सहायता और पुनर्वास योजना (आरपी) कार्यान्वयन के लिए समर्थन लागत सम्मिलित है। समर्थन लागत ,जिसमें कर्मचारी आवश्यकता, निगरानी और रिपोर्टिंग, परियोजना कार्यान्वयन में पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आरआईएसए) की प्रतिभागिता और अन्य प्रशासनिक व्यय सम्मिलित हैं, वह कुल परियोजना लागत का हिस्सा है। इस अनुमान में होने वाली विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कई आकस्मिक प्रावधान भी किए गए हैं। प्रस्तावित परियोजना पुनर्वास योजना (आरपी) के लिए कुल बजट 18165.86 मिलियन रुपये है।

ञ) शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम)

14 .विवाद की मध्यस्थता तथा लम्बी मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, दो स्तरीय शिकायत निवारण समिति की स्थापना क्रमश: मुख्यालय स्तर पर तथा परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) स्तर पर की जाएगी। यह उन लोगों को भी एक सार्वजनिक

मंच प्रदान कर सकती है, जिन्हें अपनी सहायता के विषय में आपत्ति एवं चिंता है ताकि वह अपनी आपत्ति उठा सकें, और इस विवाद समाधान के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर सकें। मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की अध्यक्षता समूह महाप्रबंधक (जीजीएम) परियोजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम या उनके नामित प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी और इसका नेतृत्व परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) स्तर पर मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) द्वारा किया जाएगा। शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) तथा विस्थापित लोगों (डीपी) के प्रतिनिधि, जिनमें संवेदनशील विस्थापित लोग (डीपी), स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि और अन्य वह हित समूह सम्मिलित होंगे, जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा। पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आरआईएसए) एक निर्मित शिकायत निवारण निकाय के रूप में कार्य करेगी। प्रस्तावित शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) के अंतर्गत, शिकायत दर्ज होने की तारीख से दो से चार सप्ताह के भीतर ही समस्या की गंभीरता के आधार पर इनका निवारण किया जाएगा। फिर भी पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आरआईएसए) द्वारा शिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) स्तर पर ही सुलह के अथक प्रयास किए जाएंगे ताकि यथासंभव मामला न्यायालय में ले जाने से बचा जा सके।

ट) संस्थागत व्यवस्था

15. परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी (ईए) भारत सरकार का आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमएचयूए) होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के माध्यम से कार्य करेगा। परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) – ने पहले ही दिल्ली, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ में चार परियोजना प्रबंधन कार्यालयों (पीएमओ) की स्थापना की है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) कर रहे हैं। यह सभी कार्यालय पूरी परियोजना अवधि के लिए कार्य करते रहेंगे। परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) पुनर्वास योजना (आरपी) के कार्यान्वयन में सहायता के लिए पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आरआईएसए) को नियुक्त करेगी। पुनर्वास योजना (आरपी) के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) स्तर पर कर्मचारियों को बाहरी निगरानी एजेंसी/सलाहकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

8) कार्यान्वयन कार्यक्रम

16 .पुनर्वास योजना (आरपी) के कार्यान्वयन में मुख्य रूप से प्रभावित संरचनाओं के लिए क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान प्रदान किया जाना और पुनर्वास एवं पुन:स्थानन गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के समय का निर्धारण समग्र परियोजना कार्यान्वयन के अनुसार ही किया जाएगा। उन सेक्शनों में जहाँ भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास शामिल हैं, वहां पर परियोजना की सभी क्षतिपूर्तियों के भुगतान तथा पुन:स्थानन के पूरा हो जाने पर एवं पुनर्वास कार्य स्थापित हो

जाने पर ही सिविल कार्य हो सकेगा।

ढ) निगरानी और रिपोर्टिंग

17. पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आरआईएसए) द्वारा परियोजना के लिए पुनर्वास योजना (आरपी) कार्यान्वयन की निगरानी कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा की जाएगी। समग्र परियोजना के पुनर्वास प्रभावों के महत्व को देखते हुए, इस परियोजना के निगरानी तंत्र में परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) द्वारा आतंरिक निगरानी होगी तो वहीं एक स्वतंत्र निगरानी संस्था/सलाहकार द्वारा भी निगरानी होगी। पुनर्वास योजना (आरपी) की देखरेख और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ), पुनर्वास गतिविधियों पर एक मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को प्रस्तुत करेगा। परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) अर्द्धवार्षिक पुनर्वास योजना (आरपी) निगरानी रिपोर्ट्स तैयार कर एडीबी को उपलब्ध कराएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पुन:स्थानन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है, और इससे भी ज्यादा विशेषत: यह जरूरी है कि क्या आजीविका/जीवनयापन मानकों को पुनर्स्थापित एवं बेहतर कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) सुधार के लिए उचित अनुशंसा करेगी।